न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
173/2022

प्राथमिक डिक्री दिनांक
20/06/2022

उनवान

1. फारूख पुत्र लाल मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
2. शकील पुत्र लाल मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ

.....वादीगण

//बनाम//

1. उदयलाल पिता मंगनीराम जाति जाट उम्र वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
2. भेरूलाल पिता मंगनीराम जाति जाट उम्र वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

<u>वादअन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री अनुराग ओझा अधिवक्ता वादीगण

वादीगण की और से वाद पत्र हस्ब आदेश 7 नियम 1 व 2 जा. दि. के तहत निम्न आधारो पर पेश है कि

यह कि ग्राम पीपलवास पटवार हल्का पीपलवास तहसील भदेसर में खाता संख्या 16 की आराजी नम्बर 334 रकबा 0.52 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 335 रकबा 0.01 हैक्टेयर गे.मु.आ.चा., आराजी नम्बर 336 रकबा 0.51 हैक्टैयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर स्थित है। साक्ष्य में नकल जमांदी प्रस्तत की है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 की संयुक्त खातेदारी की होकर उक्त आराजी में वादी संख्या 01 फारूख का 1/12वां हक हिस्सा एवं वादी संख्या 02 शकील का भी 1/12वां हक हिस्सा निहित है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 उदयलाल का 5/12वां हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 भेरूलाल का भी 5/12 वां हक हिस्सा निहित होकर मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 अपने अपने हक हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। परंतु आज दिन तक उक्त जमीन को कोई बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं हुआ है, जिस कारण आये दिन रकबे की कमी बेशी को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने को कहा तो प्रतिवादीगण टालचाल कर आनाकानी करते लगे इसलिये मजबूर होकर वादीगण को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 15.05.2022 को आराजी का विधिवत बंटवाडा कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण के मन में बदनियति होने से टाल चाल करने लगे एवं बंटवाडा कराने से साफ इंकार कर दिया एवं वादीगणों को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास किया, जिससे लगातार उत्पन्न होकर यह वाद अंदर अवधि पेश है।

अतः प्रार्थना है कि पक्ष वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का क्रमशः 1/12, 1/12 वां हक हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किया जाकर अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे एवं उसी अनुसार मौके पर वादीगणो का आधिपत्य भी रखा जावे व लगान की फाटनी की जावे तथा इस आशय की एक तहरीर संबंधित पटवार हल्का को भी अलग से जारी की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने इस्तदुआ करते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

01 में वर्णित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति अनुसार बंटवाडा कराया जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिर आया कि वाद पत्र केवल बंटवाडे का है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि. मौजा ग्राम पीपलवास पटवार हल्का पीपलवास तहसील भदेसर में खाता संख्या 16 की आराजी नम्बर 334 रकबा 0.52 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 335 रकबा 0.01 हैक्टेयर गे.मु.आ.चा., आराजी नम्बर 336 रकबा 0.51 हैक्टैयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.04 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पद्धति से बंटवाडा किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भदेसर को 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव, लगान फाटनी कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें। विभाजन में संबंधित काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर